सं.ए.60011/05/2019-एमई

**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**
**(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)**
**प्रशिक्षण प्रभाग**

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 24 जनवरी, 2020

## अधिसूचना

यह मंत्रालय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता में विद्यमान नर्स, सिस्टर एंड सिस्टर ट्यूटर पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संदर्भ में, भर्ती नियमों का प्रारूप तैयार किया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

2. भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने और भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग और अन्य एजेंसियों को भेजने से पहले इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हो तो, इस अधिसूचना के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड होनेकी तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर आमंत्रित हैं। हितधारकों से निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा नियमों/अपेक्षाओं के अनुसार विचार किया जायेगा।

3. टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरकर्ता, कमरा सं. 503'ए', ए विंग, निर्माण भवन,नई दिल्ली– 110011 को प्रस्तुत की जायें तथा सॉफ्ट कापी kumar.pranav@nic.in को भेजी जायें।

(कुमार प्रणव)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं: 23061881

**[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]**
**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**

**<u>अधिसूचना</u>**

नई दिल्ली, तारीख ................ 2019

सा.का.नि. .............. (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध **नर्स** के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,** ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता **नर्सिंग अधिकारी** के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता - **नर्सिंग अधिकारी** (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम 2019 होगा।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना-** ये नियम इन नियमों के अनुसूची के अनुलग्नक के कॉलम (1) में यथानिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान–** उक्त पदों की संख्या, और **वेतनमान** वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता – वह व्यक्ति –**
   (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है।
   (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है। उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू ब्यौरा विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**7. व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसारअनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]**

**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, तारीख ................ 2019

सा.का.नि. ............... (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध **सिस्टर** के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,** ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता **वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी** के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

2. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता - **वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी** (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम 2019 होगा।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना-** ये नियम इन नियमों के अनुसूची के अनुलग्नक के कॉलम (1) में यथानिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान–** उक्त पदों की संख्या, और **वेतनमान** वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता – वह व्यक्ति –**

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है।

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है। उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू ब्यौरा विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]**

**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, तारीख ................ 2019

सा.का.नि. ............... (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध **सिस्टर ट्यूटर** के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,** ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता **ट्यूटर** के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता – **ट्यूटर** (समूह 'क' पद) भर्ती नियम 2019 होगा।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना-** ये नियम इन नियमों के अनुसूची के अनुलग्नक के कॉलम (1) में यथानिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**– उक्त पदों की संख्या, और **वेतनमान** वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता – वह व्यक्ति –**
   a. जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है।
   b. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है। उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू ब्यौरा विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**7. व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या 1 (एक)* | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| नर्सिंग अधिकारी | 12 (बारह) *(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स का स्तर– 7 (रु. 44900-142400/) | लागू नहीं होता | 35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय)<br><br>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)<br>रोजगार कार्यालय के माध्यम से जिस पद पर नियुक्ति हुई है, उसके लिए आयु सीमा निर्धारित करने की तारीख वह तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम प्रस्तुत करने को कहा गया है। | (क) (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बी.एससी (ऑनर्स)<br>अथवा<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एससी नर्सिंग में नियमित कोर्स (ऑनर्स)<br>अथवा<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट बेसिस बी.एससी नर्सिंग (II) राज्य नर्सिंग परिषद में नर्स या नर्सधात्री (आरएन या आरएन एण्ड आरएन) के रूप में पंजीकृत।<br>अथवा<br>(ख) (I) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल मेडिसिन मिडवाइफरी में डिप्लोमा; और (II) राज्य नर्सिंग परिषद में नर्स या नर्सधात्री (आरएन या आरएन एण्ड आरएन) के रूप में पंजीकृत; और (III) उपर्युक्त (ख) (I) में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के बाद किसी 50 बिस्तर वाले अस्पताल में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | टिप्पणी-1: अन्यथा सुयोग्य आवेदकों के मामले में अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से शिथिलनीय है।<br><br>टिप्पणी-2: यदि चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। |

| क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता। | दो वर्ष।<br>टिप्पणी: दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह के प्रवेश प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की अवधि शामिल होगी। | सीधी भर्ती द्वारा।<br>टिप्पणी: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के तहत एक या उससे अधिक वर्ष की अवधि तक बाहर रहने के कारण रिक्तियों को केंद्र सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है:<br>(क) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारक हों; और<br>(ख) कॉलम(7) के तहत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं रखते हों। |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं । | नियमितीकरण हेतु समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:<br>1) निदेशक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एण्ड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता – अध्यक्ष | लागू नहीं । |

| | | |
|---|---|---|
| | 2) संस्थान में संयुक्त निदेशक के रैंक का अधिकारी - सदस्य<br>3) डीजीएचएस में संस्थान (एमई) प्रशासन को देखने वाले संबंधित निदेशक प्रशासन/उप-निदेशक प्रशासन – सदस्य<br>4) एससी/एसटी श्रेणियों को अलग करने वाले लाइज़न अधिकारी – सदस्य | |

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या 1 (एक)* | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी | 3 (तीन) *(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स का स्तर– 8 (आठ) (रु. 47600-151100/-) | चयन | लागू नहीं | लागू नहीं |

| क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं | लागू नहीं | पदोन्नति द्वारा |
| | | |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के लेवल – 7 में तथा विभाग द्वारा निर्धारित 2 से 4 सप्ताह के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले नर्सिंग अधिकारियों में से पदोन्नति<br>टिप्पणी: जहां उन कनिष्ठ अधिकारियों ने, जिन्होंने अपनी अर्हता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उन पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाता है। उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी पदोन्नति हेतु विचार किया जाता है, बशर्ते कि उन के पास अर्हता/पात्रता सेवा की अवधि कम से कम उस अर्हता/पात्रता सेवा से आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, होनी चाहिए तथा जिन्होंने अपने उन कनिष्ठों से, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि भी पूरी कर ली हो। | पदोन्नति हेतु समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:<br>1) निदेशक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एण्ड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता – अध्यक्ष<br>2) संस्थान में संयुक्त निदेशक के रैंक का अधिकारी - सदस्य<br>3) डीजीएचएस में संस्थान (एमई) प्रशासन को देखने वाले संबंधित निदेशक प्रशासन/उप-निदेशक प्रशासन – सदस्य<br>4) एससी/एसटी श्रेणियों को अलग करने वाले लाइज़न अधिकारी – सदस्य | |

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या 1 (एक)* | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ट्यूटर | 1 (एक)<br>*(2019)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' अराजपत्रित अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर– 10<br>(रु. 56100-177500/) | लागू नहीं होता | 35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय)<br><br>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)<br>रोजगार कार्यालय के माध्यम से जिस पद पर नियुक्ति हुई है, उसके लिए आयु सीमा निर्धारित करने की तारीख वह तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम प्रस्तुत करने को कहा गया है। | अनिवार्य:<br>(क) (I) किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में मास्टर डिग्री।<br>अथवा<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से में नियमित कोर्स (ऑनर्स)<br>अथवा<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से<br>(II) भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेज से एक वर्ष के अनुभव के साथ बी.एससी नर्सिंग या में नर्स या पोस्ट बेसिस बी.एससी नर्सिंग<br><br>(ख) केंद्रीय से राज्य नर्सिंग परिषद से पंजीकृत नर्स और मिडवाइफरी ।<br><br>टिप्पणी-1: अन्यथा सुयोग्य आवेदकों के मामले में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से शिथिलनीय हैं। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | टिप्पणी-2: यदि चयन के किसी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। |

| क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं | एक वर्ष।<br>टिप्पणी: दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह के प्रवेश प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की अवधि शामिल होगी। | सीधी भर्ती द्वारा।<br>टिप्पणी: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के तहत एक या उससे अधिक वर्ष की अवधि तक बाहर रहने के कारण रिक्तियों को केंद्र सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है:<br>(क) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारक हों; और<br>(ख) कॉलम(7) के तहत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं रखते हों।<br>टिप्पणी2: प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की तिथि को 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी। |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने की किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया |
|---|---|---|

| **प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।** | | **जाएगा।** |
|---|---|---|
| **(11)** | **(12)** | **(13)** |
| लागू नहीं। | समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (सीधी भर्ती हेतु नियमितीकरण के लिए):<br>1) उप-महानिदेशक (एमई), डीजीएचएस - अध्यक्ष<br>2) निदेशक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एण्ड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता –सदस्य<br>3) निदेशक (एमई), डीजीएचएस – सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है। |

सं.ए.60011/05/2018-एमई

**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**
**(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)**
**प्रशिक्षण प्रभाग**

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 2 जनवरी, 2020

## अधिसूचना

फोटोग्राफर यह मंत्रालय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता में पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संदर्भ में, भर्ती नियमों का प्रारूप तैयार किया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

2. भर्ती नियमों में संशोधन को अंतिम रूप देने से पूर्व इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हों, इस अधिसूचना के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर आमंत्रित हैं। हितधारकों से निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा नियमों/अपेक्षाओं के अनुसार विचार किया जायेगा।

3. टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरकर्ता, कमरा सं. 503'ए', ए विंग, निर्माण भवन,नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत की जायें तथा सॉफ्ट कापी kumar.pranav@nic.in को भेजी जायें।

कुमार प्रणव

(कुमार प्रणव)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं: 23061881

**[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]**

**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**

**<u>अधिसूचना</u>**

नई दिल्ली, तारीख ................ 2019

सा.का.नि. .............. (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध **फोटोग्राफर** के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,** ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता में **फोटोग्राफर** के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता – **फोटोग्राफर** (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2019 होगा।

   (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना-** ये नियम इन नियमों के अनुसूची के अनुलग्नक के कॉलम (1) में यथानिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान–** उक्त पदों की संख्या, और **वेतनमान** वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता – वह व्यक्ति –**
   - क. जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है।
   - ख. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है। उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू ब्यौरा विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या 1 (एक)* | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| फोटोग्राफर | 1 (एक)<br>*(2019)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय | 7वें सीपीसी में वेतन मैट्रिक्स का स्तर– 5 (रु. 29200-92300/) | लागू नहीं | 27 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय)<br><br>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)<br><br>रोजगार कार्यालय के माध्यम से जिस पद पर नियुक्ति हुई है, उसके लिए आयु सीमा निर्धारित करने की तारीख वह तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम प्रस्तुत करने को कहा गया है। | क. अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंड्री/10+2 उत्तीर्ण अथवा समकक्ष<br>(ii) फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर/ मूवी / टीवी कैमरामैन के रूप में तीन (तीन) वर्ष के अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी/सिनेमाटोग्राफी में डिप्लोमा<br>(ख) वांछनीय: अंग्रेजी और बंगाली का कार्यसाधक ज्ञान।<br>टिप्पणी-1: अन्यथा सुयोग्य आवेदकों के मामले में अनुभव से संबंधित अर्हताओं में छूट सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर है।<br>टिप्पणी-2: एससी/एसटी से संबंधित आवेदकों के मामले में अनुभव संबंधी अर्हताओं में छूट सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर है, यदि चयन की किसी भी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी यह समझता हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के आवेदकों की संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। |

| क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं । | दो वर्ष (सीधी भर्ती हेतु) | प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित)। ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| क. केंद्र/राज्य सरकार में सदृश पदधारक अधिकारियों में से अल्पावधि संविदा सहित (द्वारा) प्रतिनियुक्ति द्वारा<br><br>या<br><br>ख. 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी के रूप में प्राथमिक ड्यूटियां करने वाले तकनीकी सिनेआर्टिस्ट या अन्य कोई सदृश पद धारक। | | |

सं.ए.60011/09/2018-एमई

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
प्रशिक्षण प्रभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 2 जनवरी, 2020

## अधिसूचना

यह मंत्रालय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता में फील्ड एसिस्टेंट पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संदर्भ में, भर्ती नियमों का प्रारूप तैयार किया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

2. भर्ती नियमों में संशोधन को अंतिम रूप देने से पूर्व इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हों, इस अधिसूचना के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर आमंत्रित हैं। हितधारकों से निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा नियमों/अपेक्षाओं के अनुसार विचार किया जायेगा।

3. टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरकर्ता, कमरा सं. 503'ए', ए विंग, निर्माण भवन,नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत की जायें तथा सॉफ्ट कापी kumar.pranav@nic.in को भेजी जायें।

(कुमार प्रणव)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं: 23061881

सं.ए.60011/09/2018-एमई

**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**
**(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)**
**प्रशिक्षण प्रभाग**

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 2 जनवरी, 2020

**अधिसूचना**

यह मंत्रालय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता में टेलीफोन आपरेटर पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संदर्भ में, भर्ती नियमों का प्रारूप तैयार किया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

2. भर्ती नियमों में संशोधन को अंतिम रूप देने से पूर्व इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हों, इस अधिसूचना के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर आमंत्रित हैं। हितधारकों से निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा नियमों/अपेक्षाओं के अनुसार विचार किया जायेगा।

3. टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरकर्ता, कमरा सं. 503'ए', ए विंग, निर्माण भवन,नई दिल्ली–110011 को प्रस्तुत की जायें तथा सॉफ्ट कापी kumar.pranav@nic.in को भेजी जायें।

(कुमार प्रणव)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं: 23061881

[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

**भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]**

**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, तारीख ................ 2020

सा.का.नि. .............. (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध **फील्ड एसिस्टेंट** के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,** अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता **फील्ड एसिस्टेंट** के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - **फील्ड एसिस्टेंट** (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम 2020 होगा।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना-** ये नियम इन नियमों के अनुसूची के अनुलग्नक के कॉलम (1) में यथानिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान–** उक्त पदों की संख्या, और **वेतनमान** वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता – वह व्यक्ति –**
   (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है।
   (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है। उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू ब्यौरा विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन  है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसारअनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या 1 (एक)* | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| फील्ड एसिस्टेंट | 3 (तीन) *(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स का स्तर– 2 (सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग) के वेतन मैट्रिक्स में | लागू नहीं | सीधी भर्ती के लिए अधिकतम 27 (सत्ताईस) वर्ष। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय)<br><br>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा- जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)<br>रोजगार कार्यालय के माध्यम से जिस पद पर नियुक्ति हुई है, उसके लिए आयु सीमा निर्धारित करने की तारीख वह तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम प्रस्तुत करने को कहा गया है। | क.अनिवार्य<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष ।<br>(ii) किसी सरकारी अथवा मान्यताप्राप्त संस्थान में मेडिकल/माइक्रोबायलॉजिकल/जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।<br><br>टिप्पणी-1: अन्यथा सुयोग्य आवेदकों के मामले में अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से शिथिलनीय है।<br><br>टिप्पणी-2: यदि चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। |

| **क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।** | **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।** | **भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।** |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा |

| **प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।** | **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।** | **भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।** |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं | नियमितीकरण हेतु समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति:<br>1) अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता – अध्यक्ष<br>2) निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता द्वारा नामित कोई ग्रुप 'ए' अधिकारी - सदस्य<br>3) प्रशानिक अधिकारी – सदस्य | लागू नहीं |

**[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]**

**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**

**<u>अधिसूचना</u>**

नई दिल्ली, तारीख ................ 2020

सा.का.नि. .............. (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध **टेलीफोन आपरेटर** के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,** अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में **टेलीफोन आपरेटर** के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

2. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - **टेलीफोन आपरेटर** (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2020 होगा।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना-** ये नियम इन नियमों के अनुसूची के अनुलग्नक के कॉलम (1) में यथानिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

**8. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान–** उक्त पदों की संख्या, और **वेतनमान** वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**9. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**10. निरर्हता – वह व्यक्ति –**

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है।

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है। उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू ब्यौरा विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**11. शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**12. व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसारअनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या 1 (एक)* | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| टेलीफोन आपरेटर | 2 (दो) *(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स का स्तर– 2 (सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग) के वेतन मैट्रिक्स में | लागू नहीं होता | सीधी भर्ती के लिए अधिकतम 27 (सत्ताईस) वर्ष। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय)<br><br>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)<br>रोजगार कार्यालय के माध्यम से जिस पद पर नियुक्ति हुई है, उसके लिए आयु सीमा निर्धारित करने की तारीख वह तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम प्रस्तुत करने को कहा गया है। | 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष<br>2. न्यूतम 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण की गति<br>3. कंप्यूटर पर कार्य करने, एम.एस. आफिस संचालन, ई-मेल भेजना और उसकी निगरानी, इंटर सर्फिंग का ज्ञान।<br><br>टिप्पणी-1: अन्यथा सुयोग्य आवेदकों के मामले में अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से शिथिलनीय है।<br><br>टिप्पणी-2: यदि चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। |

| **क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।** | **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।** | **भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।** |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं । | दो वर्ष। | सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत |

| **प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।** | **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।** | **भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।** |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं । | नियमितीकरण हेतु समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति:<br>1) अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता – अध्यक्ष<br>2) निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता द्वारा नामित कोई ग्रुप 'ए' अधिकारी - सदस्य<br>3) प्रशानिक अधिकारी – सदस्य | लागू नहीं । |